[2025/850]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
महेन्द्र सिंह भाटी		सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या :- 565/2025

-::आदेश::- दिनांकः-

प्रार्थी **महेन्द्र सिंह भाटी** पुत्र श्री **गणपतसिंह भाटी** जाति **राजपूत** निवासी **खेजडला** तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावें।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम **खेजडला** की जमाबंदी संवत् **2073 से 2076** के खाता सं. 762 के खसरा नंबर 313/19 में दर्ज अशुद्ध नाम **महेन्द्र सिंह भाटी पुत्र नरपतसिंह** जाति **राजपूत** निवासी **खेजडला** का शुद्ध विवरण **महेन्द्र सिंह भाटी पुत्र गणपतसिंह भाटी** जाति **राजपूत** निवासी **खेजडला** की राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाडा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा